कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 06.07.2016 एवं निर्देश क्रमांक शिविरा–माध्य/साप्र/डी–3/विविध सूचना/10 दिनांक 08.04.2011 के अनुसरण में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों में स्थित पेयजल संग्रहण टंकियों की नियमित सफाई करने, उचित मापदण्ड के अनुसार से उन पेयजल टंकियों में जल को सुरक्षित रखने का उचित तरीकों को काम में लाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे की विद्यालयों/कार्यालयों में यथा विद्यार्थियों/कार्मिकों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता रहे। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा–निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।

1 विद्यालय/कार्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

2 प्रत्येक विद्यालय/कार्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुरक्षित एवं उपयुक्त हो। इस बाबत कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान तथा विद्यालय विकास कोष समिति के सदस्य नियमित रूप से उचित अंतराल पर साफ–सफाई की जांच कर पुष्टि करें।

3 पेयजल टंकियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उचित प्रकार से ढक कर रखे जाने की उचित व्यवस्था रखी जावें जिससे विद्यार्थियों/कार्मिकों को केवल साफ सुथरा एवं कीटाणू रहित दोषमुक्त पेयजल ही उपलब्ध हो, बल्कि संभावित दूषित जल जनित बीमारियों से भी बचाव रहे।

4 विद्यालय/कार्यालय में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा यह ऐसे साफ–सुरक्षित स्थान पर हो जहां आवश्यकता होने पर आसानी से पहुँचा जा सके।

5 पेयजल टंकियों की सफाई तथा नियमित अन्तराल पर जांच का ब्यौरा एक रजिस्टर में संधारित किया जावें। इस हेतु शाला/संस्था प्रधान नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल मे लावें।

6 अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठकों में विद्यालय की टंकियों की सफाई/पेयजल समीक्षा एवं इसे दृढ करने की चर्चा/कार्यवाही की जावें।

7 निरीक्षण दल द्वारा कार्यालय/विद्यालय का निरीक्षण अथवा आकस्मिक विजिट करने के समय विद्यालय की उक्त पेयजल सम्बन्धित स्थितियों की जायजा लिया जावें।

8 बरसात के दिनों में जलजनित रोगों की आशंका बनी रहती है अतः वर्षाकाल में विशेष रूप से टंकियों के साफ शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था रखी जानी चाहिये। शाला/संस्था से सम्बन्धित क्षेत्र विशेष के जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से भी उक्त के सम्बन्ध में उचित सलाह/सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

9 आपात स्थितियों में बचाव के सर्वोत्तम तरीकों को विवेकानुसार इस्तेमाल किया जा सकता है।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक–शिविरा–माध्य/साप्र/डी–2/विविध/2016–17 दिनांक– 26/07/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ–

1 विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान–सरकार, जयपुर

2 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर

3 निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

4 प्रधानाचार्य, आइ.ए.एस.ई. बीकानेर / ई.टी. सैल, अजमेर

5 प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दूल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर

6 उप निदेशक–माध्यमिक समस्त को अपने अधिनस्थ समस्त कार्यालयों / संस्थाओं को उचित कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबन्द करावें।

7 जिला शिक्षा अधिकारी– माध्यमिक– प्रथम / द्वितीय को अपने अधिनस्थ समस्त कार्यालयों / संस्थाओं को उचित कार्यवाही अमल में लाने हेतु पाबन्द करावें।

8 शाला / संस्था प्रधान– समस्त

9 प्रधान सम्पादक–शिविरा प्रकाशन, शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

10 समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी–कार्यालय हाजा

11 स्टाफ ऑफिसर–निजी अनुभाग–निदेशक

12 भण्डार अनुभाग–कार्यालय हाजा को पालनार्थ।

13 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर